

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण**गैर इरादतन हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 677 / 2020 धारा 304 भादवि में वांछित 02 अभियुक्त 1- सचिन पुत्र अक्षयलाल 2 – संगीता पत्नी सचिन निवासीगण चपरापूर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 16.11.2020 को पारिवारिक विवाद को लेकर मारपीट किया गया जिसमें वादी अक्षयलाल की पत्नी के सर में चोट लग जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गयी जिनकी जिलाचिकित्सालय में ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। वादी अक्षयलाल द्वारा दिनांक 17.11.2020 को थाना धनघटा पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । उक्त के क्रम में आज दिनांक को धनघटा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

नाबालिग को बहला – फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 355 / 2020 धारा 363 / 366 / 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त नाम पता अरुण पुत्र राजाराम केवट निवासी लेडूआ थाना कोतवाली खलीलाबा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि दिनांक 15.11.2020 को अभियुक्त वादिनी की नाबालिग लड़की (उम्र 15 वर्ष) को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था जिस पर वादिनी द्वारा दिनांक 18.11.2020 को थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें आज दिनांक 19.11.2020 को थाना दुधारा पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1489 द्वारा जमीनी विवाद को कराया गया शांत – पीआरवी 1486 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 07887 से कालर अफजल ने दो पक्षों में जमीनी विवाद के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 07 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया गया तथा दोनों पक्षों को आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना दुधारा को सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु० आरक्षी श्याम सुन्दर मिश्रा, आरक्षी रंजन राजभर, हो०चा० बृजेश यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 271 वाहनो से 245000 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 19-11-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 271 वाहनो से 241000 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।